मासिक

इसलाहे समाज

जनवरी 2019 वर्ष 30 अंक 1

जुमादल ऊला 1440 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

एहसानुल् हक़्क़

❑ वार्षिक राशि	100 रुपये
❑ प्रति कापी	10 रुपये
❑ टोटल पेज	28

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)

4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद

दिल्ली-110006

फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से भारत आफसेट 2035 क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: एहसानुल् हक़्क़

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. वक़्त का सहीह इस्तेमाल कीजिये 2
2. असल कामयाबी 4
3. अफ़वाह के बुरे प्रभाव 5
4. मुसलमानों की खूबियाँ 8
5. शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बारे में मश्वरे 10
6. व्यक्तगत स्वतंत्रता और उसकी सीमाएं एवं नियम 11
7. तरबियत में माँ बाप की कोताहियाँ 13
8. प्रेस रिलीज़ 15
9. इस्लाम में आस्था का महत्व 17
10. जमाअती ख़बर 19
11. हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमया 20
12. इस्लाम में बाल-अधिकार 22
13. कान का रोग 23
14. अल्लाह से गफ़लत का एलाज 24
15. नमाज़ की शिक्षा 25
16. प्रेस रिलीज़ 26

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

असल कामयाबी

नौशाद अहमद

इन्सान अपनी शख़्सियत को संवारने और बनाने के लिये हर जतन करता है, आज दुनिया में परसनालटी डेवलेप के नाम पर खूब रिसर्च हो रहा है और इस विषय पर हर स्तर पर चर्चा होती रहती है कि एक इन्सान दुनिया में विकास की राहों को तय करने के लिये क्या उपाय कर सकता है। यही वजह है कि परसनालटी को गति देने के लिये हर स्तर पर प्रयास का सिलसिला जारी है यह जो कुछ भी संघर्ष और प्रयास हो रहा है सब का संबन्ध दुनिया की तरक्की से है, जिसके पीछे सबसे बड़ा मकसद यह होता है कि इन्सान अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिये क्या कुछ कर सकता है।

हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं हकीकत यह है कि यह हर इन्सान के लिये परीक्षा ग्रह है, इस दुनिया में जो भी इन्सान आया है उसके जीवन की एक मुद्दत तय है इस तय समय में उसे अपने आपको सफल बनाना है।

एक सफलता दुनिया की सफलता है जिसके लिये इन्सान अपने आप को थका देता है अब यह उस इन्सान की अक़्ल कर निर्भर है कि वह इस दुनिया में कामयाब हुआ कि नहीं।

इस्लाम में सफलता की कसौटी इन्सान का सत्कर्म है अगर इन्सान ने अपनी पैदाइश का मक़सद जानते और अपने सामने रखते हुये अल्लाह के बताये गये आदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है तो वास्तव में वही इन्सान कामयाब है और इस आज़माइश वाली दुनिया में अगर वह पास हो गया तो आखिरत (मरने के बाद वाले जीवन) में भी कामयाब माना जायेगा।

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है : ''जिसने मौत और ज़िन्दगी को इस लिये पैदा किया कि तुम्हें आजमाये कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है'' (सूरे मुल्क-२)

कुरआन की इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो अपने जीवन को अल्लाह के आदेशों के पालन में स्तेमाल करेगा उसका जीवन सफल हो गा और जो अपने जीवन के मकसद को भूल कर अल्लाह के आदेशों की अन्देखी करेगा उसका जीवन असफल माना जायेगा।

दुनिया में अपने आप को कामयाब समझने वाले इन्सान को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिये कि अगर वह रूपये पैसे के कारण दुनिया में कामयाब है तो वह मरने के बाद भी कामयाब माना जायेगा बल्कि क्यामत के दिन हर इन्सान के कर्म की कसौटी उसका अच्छा कर्म होगा जो यह निर्णय करेगा कि वह स्वर्ग में जाये गा या नरक में जायेगा।

इन्सान के लिये दुनिया ही में दोनों पहलू सामने है एक गलत कर्म की बुनियाद पर वह नरक में जायेगा और सत्कर्म की बुनियाद में स्वर्ग में जायेगा। इसलिये हर इन्सान को अपने सत्कर्म को कसौटी बनानी चाहिये जो हकीकत में शाश्वत सफलता है और यही हर इन्सान के जीवन का आधार भूत मकसद है। कितने दुख की बात होगी उस इन्सान के लिये जो जानते हुये भी अपने कुकर्मों की वजह से नरक में चला जायेगा और कितने सौभाग्य की बात होगी उस इन्सान के लिये जो अपने सत्कर्मों के आधार पर स्वर्ग में जायेगा हर इन्सान को यह समझ लेना चाहिये कि असल तरक्की क्या है।

अफ़वाह के बुरे प्रभाव

❑ **डा० मुहम्मद यूसुफ फारूक़ी**

आज के दौर में जहाँ बहुत सी बुराइयाँ और दुराचार हमारे समाज को घुन की तरह खा रहे हैं उनमें एक बुराई अफवाह फैलाने की है। शायद अफ़वाह फैलाने वालों को यह अन्दाज़ा भी न हो कि कभी कभार इसके नकारात्मक प्रभाव समाज और देश के लिये खतरनाक होते हैं और जिस के तबाहकुन प्रभाव से स्वयं अफ़वाह फैलाने वाले भी बच नहीं सकते।

इस्लामी कानून के दृष्टिकोण से भी अफ़वाह फैलाना या अफवाह के माध्यम से समाज में फितना फसाद फैलाना एक बदतरीन अपराध है इसलिये कि अफ़वाह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बिना किसी कारण के न केवल नफ़रत पैदा करती है बल्कि कभी कभार बिला वजह की लड़ाई झगड़े का सबब होती है। अफ़वाह के घातक और हानिकारक प्रभाव के दृष्टिगत (पेशे नज़र) देश के नागरिकों पर भी यह कर्तव्य लागू होता है कि वह स्वयं किसी प्रकार की अफ़वाह न फैलाने दें। मनगढ़त और झूठी बातें न केवल दुनियावी एतबार से अपराध है बल्कि महा प्रलय में भी इस अपराध के बदले में सख़्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी। दुनिया में भी इस प्रकार की घटिया हरकतों के परिणाम अच्छे नहीं होते।

अफ़वाह चाहे हुकूमत के खिलाफ हो या किसी संस्था के, किसी व्यक्ति के खिलाफ हो या किसी वर्ग के खिलाफ, हर हालत में निंदनीय है। इतिहास में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि कुछ लोगों की फैलाई हुई बातें पूरी कौम के लिये शर्मिंदगी और परेशानी का कारण बन गई और इसके संगीन परिणाम आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ा।

कुरआन ने अफवाह की रोकथाम के लिये मुसलमानों को आदेश दिया है कि जब इस प्रकार की अप्रमाणित खबर (अफवाह) पहुचे तो लोगों में इस अफवाह को हर्गिज़ न फैलाया जाये बल्कि इस प्रकार की निराधार खबरों और अफवाहों के बारे में शासकों को आगाह करना चाहिये ताकि वह इसकी समीक्षा करें और ठीक परिस्थिति (सूरते हाल) से जनता को आगाह करें। अगर बात सहीह है और लोगों को इससे अवगत करना ज़रूरी है तो हुकूमत स्वयं इस खबर को प्रसारित करेगी और अगर समाज में केवल बेचैनी या फितना फसाद फैलाने के लिए अफवाह फैलाई गई है तो भी हुकूमत और उसके गुप्तचर विभाग अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अफवाह के हानिकारक प्रभाव की रोक थाम के लिये सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

कुरआन की सूरे निसा में अफ़वाह फैलाने को शैतान का काम कहा गया है और नागरिकों पर यह कर्तव्य लागू किया गया है कि वह अफ़वाह के बारे में शासकों को इससे अवगत करायें स्वयं इस अफवाह को न फैलाएं बिला वजह

सुनी सुनाई बातों को लोगों में बयान करके इस अपराध में शामिल न हों। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहोअलैहि वसल्लम ने फरमायाः "गुनाह के लिये यही बात काफी है कि इन्सान सुनी सुनाई बातों को बयान करने लगे।" (सुनन अबू दाऊद भाग २ पृष्ठ-२०३)

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है "जिस चीज़ का तुम्हें इल्म न हो उसके पीछे न पड़ो, निःसन्देह कान, आंख और दिल सबसे पूछताछ होगी" (सूरे इसरा-३६)

यानी जिस चीज़ के बारे में तुम्हें पूरा इतमिनान और ज्ञान न हो तो केवल अटकल की बिना पर उसके पीछे न लगा करो, झूठे आरोप बदगुमानी और अफवाह सब एक ही श्रेणी की बुराइयां हैं। एक अच्छे और सभ्य समाज को इन बुराइयों से पवित्र होना चाहिये। इस्लाम जिस प्रकार का समाज चाहता है उसकी बुनियाद आपसी सहयोग, विश्वास, अच्छी भावना और सुधारणा (हुस्ने ज़न) पर होती है। अतः किसी मामले में कोई ऐसी बात जुबान से नहीं निकालनी चाहिए जो केवल अफवाह पर आधारित हो और न बदगुमानी की वजह से किसी के बारे में कोई गलत बात कही जाए जिससे किसी व्यक्ति, जमाअत, संस्था अथवा वर्ग की इज़्ज़त को नुक़सान पहुंचता हो या कुछ लोगों का हृदय आहत होता हो।

सूरे हुजरात में एक दूसरे का मज़ाक उड़ाना, लांछन करना, लोगों पर भब्तियाँ कसना या उनके खिलाफ कुधारणा (बदगुमानी) करना, लोगों की गीबत करना, इत्यादि, यह सब काम स्पष्ट रूप से पाप हैं और समाज में बिगाड़ और फसाद पैदा करते हैं। अल्लाह ने इन तमाम बुराइयों का वर्णन करने के बाद इन्हें हराम करार दिया है।

सूरे हुजरात में एक दूसरे का मज़ाक उड़ाना, लांछन करना, लोगों पर भब्तियाँ कसना या उनके खिलाफ कुधारणा (बदगुमानी) करना, लोगों की गीबत करना, इत्यादि, यह सब काम स्पष्ट रूप से पाप हैं और समाज में बिगाड़ और फसाद पैदा करते हैं। अल्लाह ने इन तमाम बुराइयों का वर्णन करने के बाद इन्हें हराम करार दिया है।

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

"ऐ ईमान वालो! अगर कोई फ़ासिक़ तुम्हारे पास कोई अहम खबर लाये तो खूब तहक़ीक़ कर लिया करो कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी गिरोह को अनजाने में नुक़सान पहुंचा बैठो फिर तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़े"। (सूरे हुजरात-६)

कुरआन की इस आयत में स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है कि अगर कोई ख़बर या सूचना अविश्वसनीय माध्यम से आये तो बिना छानबीन और पुष्टि के इसे पूरी तरह से नहीं मानना चाहिए बल्कि खूब अच्छी तरह से इसकी तहक़ीक़ करनी चाहिए कि इस ख़बर में हक़ीकत में कोई सच्चाई है? बिना किसी छानबीन और बिना किसी सन्तुष्टि के अगर कोई क़दम उठाओ

गे तो इसका अंजाम अपमान के सिवा कुछ नहीं होगा।

कुरआन और हदीस की शिक्षाओं के एतबार से अफ़वाह फैलाना निराधार खबरें प्रकाशित करना कदापि वैध नहीं। इस प्रकार के कामों में जो लोग भी शामिल होंगे वह अपराध में लिप्त माने जाएंगे, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। कुरआन और हदीस में जहां इस प्रकार की निन्दित हरकतों पर पाबन्दी लगा दी गयी है वहीं देश के साधारण और जिम्मेदार शहरियों पर भी यह कर्तव्य है कि वह अफवाहों की रोक थाम में अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करें अफवाह फैलाने वालों पर नज़र रखें उनकी फैलाई हुई बातों को स्वयं बयान करके न फैलाएं अगर कोई ऐसी खबर जिस का संबन्ध देश की सुरक्षा से है तो तुरन्त शासकों को सूचित करके अफवाहों की रोक थाम और देश एवं समुदाय की सुरक्षा के मामलात में शासकों का पूरा पूरा सहयोग करें।

अफवाहों की रोक थाम में सरकारों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है विशेष रूप से जो संस्थाएं हुकूमत की निगरानी में काम कर रही हैं उदाहरण स्वरूप रेडियो, टेलीवीजन, प्रिन्ट मीडिया इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया को इस बारे में सबसे अहम काम यह करना होगा कि यह संस्थाएं जनसाधारण में अपना विश्वास पैदा करें ताकि लोग इन संस्थाओं की दी गयी ख़बरों पर भरोसा कर सकें।

> कुरआन और हदीस की शिक्षाओं के एतबार से अफ़वाह फैलाना निराधार खबरें प्रकाशित करना कदापि वैध नहीं। इस प्रकार के कामों में जो लोग भी शामिल होंगे वह अपराध में लिप्त माने जाएंगे।

आचरण बनाने का काम करें, छवि खराब करने के लिये इस्तेमाल न हों इन संस्थाओं पर विश्वास बहाल होने से अफवाह फैलाने वालों का मनोबल टूटेगा। मीडिया को केवल उन्हीं खबरों को प्रसारित और प्रकाशित करना चाहिए जिनका प्रसारण करना वास्तव में आवश्यक हो। अगर हमारे अखबारात कुरआन की इन आयतों और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में एक आचार संहिता (कोड आफ कन्डेक्ट) तय कर लें तो निश्चित रूप से सकारात्मक और स्वस्थ्य पत्रकारिता भी अफवाह के खिलाफ अपनी भूमिका निभा सकेगी। (जरीदा तर्जुमान १-१५ जनवरी २०१६)

हज़रत मुहम्मद स० ने फ़रमाया

जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वह अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार नहीं। (जामेअ़ तिर्मिज़ी १६५५)

तुम धरती वालों पर दया करो आसमान वाला (अल्लाह) तुम पर दया करेगा। (बुखारी, सहीहुल जामेअ़ अस्सगीर-८६६) तुम अत्याचार से बचो यकीनन अत्याचार क्यामत के दिन अंधेरों में से एक अंधेरा है। (सहीह़ मुस्लिम २५७८)

मुसलमानों की खूबियाँ

❑ **मौलाना अबुल कलाम आज़ाद**

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सदाचरण का अन्दाज़ा करने के लिये एक कसौटी यह भी हो सकती है कि अहले ईमान (मुसलमानों) की जो विशेषताएं कुरआन में बयान की गयी हैं, उन्हें सामने रख लिया जाए क्योंकि अल्लाह तआला ने जिस पवित्र वजूद के माध्यम से कुरआन की शिक्षा को सृष्टि तक पहुंचाई वह हर हाल में इस शिक्षा का एक पवित्र रूप होगा। इसी पवित्र वजूद को देख कर सहाबा अपने अमल दुरूस्त करते थे और इसी पवित्र वजूद की छत्रक्षाया में उनके सुधार का सिलसिला जारी था।

कुरआन मजीद की वह तमाम आयतें जमा करना संभव नहीं लेकिन उनमें से चन्द आयतों को पढ़िए जिन में सामूहिक जिन्दगी से गहरा संबन्ध रखने वाली खूबियों का उल्लेख है।

१. मोमिन (मुसलमान) वह है जो अल्लाह से डरते और आपसी मामलात को दुरूस्त रखते हैं, अल्लाह का जिक्र छिड़े तो उनके दिल कांप उठते हैं, अल्लाह का कलाम सुनाया जाये तो ईमान ज़्यादा हो जाते हैं, वह हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो कुछ खुदा ने उन्हें दे रखा है उसमें से अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं वही हक़ीक़ी मोमिन हैं। (सूरे अंफ़ाल १-४)

२. बिला शुब्हा ईमान वाले कामयाब हुये (उनकी विशेषताएं क्या हैं) नमाज़ें खुशअ् व खुजूअ् से अदा करते हैं, निकम्मी और लग्व बातों से रूख़ फेरे हुये हैं, ज़कात अदा करने में सक्रिय हैं, इफ़्फ़त इस्मत की निगेह्दाश्त से गाफिल नहीं होते. .. इमानतों और वअ्दों का उन्हें पास रहता है, नमाज़ों की हिफ़ाज़त में कोताही नहीं करते। (सूरे मोमिन-१-१०)

३. अल्लाह के बन्दे वह हैं जो ज़मीन पर दबे पांव अर्थात इज़्ज़त व फिरोतनी से चलते हैं जब जाहिल यानी कम अक़्ल अख्खड़ और बे अदब लोग उनसे बात करते हैं तो मुलायम बात सुना कर और साहबे सलामत कह कर अलग हो जाते हैं। रात का वक़्त (यानी सोने का वक़्त कलब की तफरीहा में नहीं) अपने परवरदिगार के लिये क़्याम व सुजूद में गुज़ारते हैं और कहते हैं ऐ हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख़ का अज़ाब फेरे दे...जब ख़र्च करते हैं तो न बेजा उड़ाते हैं और न मौक़े की मुनासिबत के पेशे नज़र तंगी करते हैं। वह किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाते, जिससे अल्लाह ने मनाकर रखा है और बदकारी से भी दूर रहते हैं... झूठे काम में शामिल नहीं होते, किसी की लग्व बात से गुज़र रहे हों तो संजीदगी और वक़ार से गुज़र जाते हैं। (सूरे फुरक़ान ६३-७४)

४. वह (अहले ईमान) परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से दूर रहते हैं, जब गुस्सा आये तो मआफ़ कर देते हैं और खुदा ने उन्हें जो कुछ दे रखा है उसमें से ख़र्च करते हैं, जब उन पर कोई ज़्यादती हो तो उचित बदला लेते हैं, बुराई का बदला वैसी ही बुराई। फिर जो कोई मआफ़ कर दे और नेकी करे उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह ज़ालिमों को पसन्द नहीं करता, जो कोई मज़लूम हो कर बदला ले तो उस पर कोई मलामत नहीं, मलामत तो उन पर है जो

लोगों पर खुद से जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक़ फसाद फैलाते हैं, उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है और जो जुल्म को सह जाये और मआफ कर दे तो बड़ी आली हिम्मती के कामों में से है। (सूरे शूरा-३६-४३)

असल नेकी क्या है?

१.अल्लाह पर ईमान

२. आखिरत के दिन (क्यामत) और फरिश्तों पर ईमान

३. खुदा की उतारी हुई किताबों और खुदा के भेजे हुये नबियों पर ईमान

४. माल ख़र्च करके गुलामों को आज़ादी दिलाना

५. नमाज़ और ज़कात बाकायदा अदा करते रहना।

६. खुदा की मुहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों यतीमों मिस्कीनों और मांगने वालों को देना।

७. वादा करना तो उसे हर हाल में पूरा करना

८. तंगी, दुख या भय में सब्र और स्थिर रहना (सूरे बक़रा १७७)

अल्लाह ने फरमाया

१. खुशहाली और तंगदस्ती दोनों हालतों में खुदा के लिये खर्च करना।

२. गुस्से को पी जाना और लोगों के दोष को मआफ कर देना।

इस्लाम ने जो इबादतें तय की हैं उनका मकसद भी इसके सिवा क्या है कि लोगों के आमाल दुरूस्त हों, उनके आचरण अच्छे हों, उनका जीवनी दपर्ण (आइने) की तरह पवित्र और पारदर्शी हो जाये और उनके आचरण ज़्यादा से ज़्यादा संवर जायें। (रसूले रहमत से साभार-पृष्ठ ६७७-६७८)

पाठक गण ध्यान दें

१-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। २-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सुचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। ३-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। ४-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। ६- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। ७. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये 3 बजे से 5 बजे तक फून करें। 011-23273407

शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बारे में लाभकारी मश्वरे

❑ **डा० अबुल हयात अशरफ**

ख़ानदान के अधिकतर बुज़ुर्ग इस बात से पूरे तौर पर बेख़बर होते हैं कि वह अपना वक़्त किस तरह गुज़ार रहे होते हैं। दूसरे बुज़ुर्गों के पास बैठकर फ़ुज़ूल बातें करना, एक दूसरे की बुराई करना और अपना वक़्त बेमक़सद गुज़ारना बहुत ही तकलीफ देह होता है। घर के बच्चे बुज़ुर्गों को देखकर वक्त को बर्बाद करने के आदी हो जाते हैं। कुछ आसान अभ्यास आप को बेमकसद कामों से छुटकारा दिलाने में मदद गार साबित होगा। इसका सकारात्मक प्रभाव घर के छोटे बच्चों पर यहां तक कि थोड़ा सीनियर बच्चों पर भी पड़ेगा।

१. अपने आस पास सफाई सुथराई रखें और चीज़ें सलीक़े से रखें। बिखरी हुई चीज़ें, घर के सामान या इल्मी किताबें और कपड़े आप के ध्यान को भटकाते हैं। चीज़ों को सहीह और संगठित रूप से रखने से चीज़ों के खोने की संभावना कम रहती है और बच्चे भी अनजाने तौर पर प्रशिक्षित और ट्रेन्ड हो जाते हैं। इन चीज़ों को ढूढ़ने में वक़्त भी बर्बाद होता है।

२. आप ज़रूरी कामों का शेडूल बना लें जिसमें उन्हें पहले करने को वरियता दी जाये। ज़रूरी और महत्वपूर्ण कामों को सुबह सवेरे अंजाम दें क्यों कि दिन के शुरू में आप ताजादम और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। कम ज़रूरी काम खाली वक़्तों में करने की आदत डालें।

३. सुबह सवेरे फज्र की नमाज़ के बाद कुरआन की तिलावत से दिन की शुरूआत करें और अल्लाह से संबन्ध जोड़ें। सुबह का वक़्त ऐसा होता है जब गैर ज़रूरी हस्तक्षेप की संभावना भी नहीं होती। बच्चे आपके वक्त की मन्सूबा बन्दी (पलानिंग) से प्रभावित होंगे और वह भी इसके आदी बनेंगे।

४. खानदान के कुछ बुजुर्ग अपने ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां ले लेते हैं। यह काम "कल कर लेंगे" आदत डाल लेते हैं, इस आदत को तुरन्त छोड़ने की ज़रूरत है, बच्चों पर इस का नकारात्मक असर पड़ता है।

५. बच्चों को टेलीवीज़न से दूर रखें या कम से कम देखने दें। प्रोग्राम्स के चैनल भी सकारात्मक और अच्छा होना चाहिए। घरों में ऐसे अखबारात न लाएं जो अश्लीलता और बेकार बातों पर आधारित होते हैं। ऐसा करने से जहाँ घर के छोटे बच्चों और नई नस्लों का माहौल दुरूस्त होगा वहीं अखबारात को भी सोचना पड़ेगा कि अश्लील सामग्री के प्रकाशित करने के सबब उनके अख़बारात के सरकूलेशन में कमी आई है।

६. घर के बुज़ुर्गों को स्वयं भी सभ्य और सदव्यवहार का वाहक होना चाहिए। जिनकी तरफ बच्चों की निगाहें उठे तो उनके अच्छे व्यवहार से खुश हो जाएं, बुज़ुर्गों को अच्छे स्वभाव, हंसमुख और नरम दिल होना चाहिए।

७. घर के बुज़ुर्गों बच्चों के दिलों में सच्चाई के महत्व की भावना पैदा करें और झूठ से बचने की नसीहत करें।

८. बच्चों को शुरू से ही यह सिखाना ज़रूरी है कि वह अपने बुज़ुर्गों के लिये दुआ करें यानी उनके लिये मग़्फ़िरत की दुआ करें।

९. बुज़ुर्गों का बच्चों के साथ रहम दिली और नरमी से पेश आना उनके लिये सद-कए जारिया हो गा वह अल्लाह के करीब होंगे और अपनी आफ़ियत का सामान भी जमा करेंगे।

❑ ❑ ❑

व्यक्तगत स्वतंत्रता और उसकी सीमाएं एवं नियम

❑ **मुहम्मद गुफरान सलफी**

एक कथन है कि मनुष्य की स्वतंत्रता का उस जगह अंत हो जाता है जहां से दूसरों की स्वतंत्रता का आरम्भ होता है। और यह सत्य है क्योंकि व्यक्तगत स्वतंत्रता का अर्थ कदापि यह नहीं कि आप जो चाहें करें जिसको जो चाहें कहें और आप इस पर उत्तरदायी न हों। इसी प्रकार व्यक्तगत स्वतंत्रता का अर्थ यह भी नहीं जिसका ढ़िंढोरा पश्चिमी देश पीटते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है वह जो चाहे करे और जिस प्रकार चाहे जीवन व्यतीत करे, जिसके साथ जैसा चाहे व्यवहार करे।

इस्लाम ने प्रथम दिन से ही सारे मनुष्यों को ''ला इलाहा इल्लल्लाह'' का उपदेश दिया। इस वचन का पहला खण्ड ''लाइलाहा'' मनुष्यों को हर प्रकार की रूकावट व बंदिश और दास्ता व गुलामी से मुक्त करके दूसरे खण्ड ''इल्लल्लाह'' के द्वारा उनको एक अल्लाह से जोड़ देता है। इस प्रकार वह जीवन के प्रत्येक विभाग में ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है लेकिन एक मनुष्य अपनी भाषा और अंग के प्रयोग में उसी हद तक स्वतंत्रत है जिससे दूसरों की स्वतत्रंता भंग न होती हो।

इतना ही नहीं इस्लाम किसी धर्म को स्वीकार करने में स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसने मनुष्यों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने या न करने का अधिकार दिया है और इसके लिए वह किसी को विवश नहीं करता। कुरआन का एलान है ''धर्म के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं'' (सूरे बक़रा-२५६) अर्थात धर्म के प्रति मनुष्य स्वतंत्रत है।

एक दूसरे स्थान पर मनुष्यों को धर्म के प्रति स्वतंत्रता का अधिकार देते हुए अल्लाह तआला कहता है। ''हम ने उसे राह दिखाई अब चाहे वह शुक्र गुजार बने चाहे नाशुक्रा'' (सूरे दह्र ३)

इस्लाम ने जहाँ एक अल्लाह की पूजा करने का आदेश दिया है वहीं व्यक्तगत स्वतंत्रता की सीमा तय करते हुये अपने मानने वालों को यह भी आदेश दिया ''और गाली मत दो उनको जिन की यह लोग अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हैं''(सूरे अंआ़म १०८)

इसी प्रकार इस्लाम ने जहां मनुष्यों को व्यक्तगत स्वतंत्रता प्रदान किया वहीं दूसरों के स्वतंत्रता का उल्लंघन करने से भी मना किया और उनका आदर व सम्मान करने का आदेश दिया। नबी स० ने आखिरी हज में एलान करते हुए कहा था कि

''निश्चित रूप से तुम्हारा रक्त, तुम्हारा धन और तुम्हारा सम्मान एक दूसरे पर ऐसे ही सम्माननीय है जैसा आज के दिन की इज्जत, इस शहर की पवितत्रता और इस माह का सम्मान ज़रूरी है'' (बुखारी-१७३६) और इसका जीवित उदाहरण यह है कि एक बार हज़रत उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने मिस्र के गर्वनर अम्र बिन आस रज़िअल्लाहो तआला अन्हो को उनके

पुत्र के द्वारा किसी पर अत्याचार करने के विषय में बुलाया और न्याय करते हुऐ कहा :

"ऐ अम्र तुम ने लोगों को कब से अपना दास बना लिया जबकि उनकी माओं ने उन्हें आज़ाद जन्म दिया था" इसी प्रकार इस्लाम ने जहां दूसरों के प्रति अपने विचार और मत को प्रकट करने की अनुमति दी है वहीं दूसरी ओर उसकी एक सीमा भी तय कर दी कि यदि कोई घमण्ड और दूसरे के अपमान के लिये ऐसा करता है तो इस्लाम कदापि इसकी अनुमति नहीं देता।

हज़रत उमर रज़िअल्लाहो तआला अन्हो ने अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता को इस प्रकार बढ़ावा दिया कि एक मनुष्य राह चलते हुए या भरी सभा में जहां चाहता अपको टोक देता यही कारण है आपको अपने शरीर पर दो चादरों का हिसाब भी भरी सभा में देना पड़ा और आप अप्रसन्न होने के बजाय कहते इन्हें न रोको अगर ये लोग हमसे ऐसी बात कहना छोड़ दें तो फिर इनके यहां होने का क्या लाभ?

इस्लाम ने जहां मनुष्यों को धन दौलत कमाने खाने की पूरी स्वतंत्रता दी वहीं उसके लिये एक सीमा तय कर दी और कहा "ऐ ईमान वालो! जो पाकीज़ा चीज़ें हम

हज़रत उमर रज़िअल्लाहो तआला अन्हो ने अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता को इस प्रकार बढ़ावा दिया कि एक मनुष्य राह चलते हुए या भरी सभा में जहां चाहता अपको टोक देता यही कारण है आपको अपने शरीर पर दो चादरों का हिसाब भी भरी सभा में देना पड़ा और आप अप्रसन्न होने के बजाय कहते इन्हें न रोको अगर ये लोग हमसे ऐसी बात कहना छोड़ दें तो फिर इनके यहां होने का क्या लाभ?

ने तुम्हें दे रखी है उन्हें खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम ख़ास उसी की इबादत करते हो" (सूरे बक़रा १७२)

इसी प्रकार इस्लाम ने जहां एक पुरूष को एक से चार शादी करने की इजाज़त दी है वहीं दूसरी ओर यह भी आदेश दिया और कड़ी शर्त लगाई कि यदि न्याय न कर पाने का भय हो तो एक ही पर संतुष्ट रहो। अल्लाह तआला कहता है यदि तुम्हें न्याय न कर पाने का भय हो तो एक ही पर संतोष करो। इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम ने युद्ध के बारे में एक सीमा तय की और नियम बतलाते हुए कहा "और दूसरों पर अत्याचार न करो"। इन बातों और उदाहरणों से पूर्ण रूप से यह सिद्ध होता है कि इस्लाम ने न केवल जीवन के प्रत्येक विभाग में स्वतंत्रता प्रदान किया बल्कि साथ ही साथ उसके लिए एक सीमा भी तय की और यही व्यक्गत स्वतंतत्रा का सही अर्थ है।

अंत में अल्लाह तआला से प्रार्थना करता हूं कि हे रब तू हमें व्यक्तगत स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से समझने की शक्ति और हम तमाम मानव समाज को मिल जुल कर रहने की क्षमता दे। आमीन

तरबियत में माँ बाप की कोताहियाँ

❑ **मौलाना नियाज़ अहमद तैयबपूरी**

माँ बाप बच्चों की तरबियत (प्रशिक्षण, ट्रेनिंग) और तालीम में कई तरह की ग़लतियां करते हैं। कभी उनको अपनी ग़लती मालूम नहीं होती है और ज़्यादा तर इसके बारे में जानकारी नहीं रखते। निम्नि में कुछ कोताहियों को बयान किया जा रहा है। इनका जीवन के मुखतलिफ मैदानों से सम्बन्ध है। हर देश और हर क्षेत्र में यह कुछ न कुछ पाई जाती हैं।

१. बुज़दिली और डर पर बच्चों की तरबियत करनाः

कुछ मां बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों की तेज़ी और तर्रारी से परेशान होकर उनको डराते हैं।

छोटे बच्चे जब शरारत करते हैं और सोते नहीं हैं तो माएं डरा डरा के सुलाती हैं। बेटा सोजा देख बिल्ली आ रही है। शेर आ रहा है, कुत्ता आ रहा है और बच्चा डर जाता है और मां के सीने से चिपक जाता है। यह बहुत हानिकारक है। बच्चे चाहे जितना रोयें और परेशान करें इनको डराएं नहीं, इस पर सब्र करें और अपनी समझदारी से इनको कन्ट्रोल करें। इनकी परवरिश साहस पर करें।

२. बच्चों की बदज़ुबानी बरदाश्त कर लेनाः

अगर बच्चा गलत ज़ुबान इस्तेमाल करता है तो मां बाप को इस पर ख़ामोश नहीं होना चाहिए। उसकी इस बुरी आदत को छोड़ाने का प्रयास करें।

३. बच्चों को हर चीज़ देनाः

कुछ मालदार लोग अपने बच्चों को हर चीज़ देते हैं, इससे बच्चों में बिगाड़ आता है, ज़्यादा धन दौलत के बावजूद बच्चों की सिर्फ उस ज़रूरत को पूरी करनी चाहिए जो बहुत अहम हो।

अगर उनकी हर ख़ुशी पूरी की जाएगी तो उनकी ज़िन्दगी में कोई डिसिपिलिन नहीं रहेगी, फ़ुज़ूल ख़र्ची करेगा, बाज़ार में ज़्यादा खाएगा, इससे वह कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है। ताश, कैरम बोर्ड और लोडो में कीमती वक्त लगाएगा और मोबाइल में गैर ज़रूरी चीज़ों के पीछे अपने आप को व्यस्त करेगा।

४. बच्चों को बिना ज़रूरत गाड़ी देनाः अगर बच्चे को गाड़ी की ज़रूरत है तो उसको गाड़ी देने में कोई हरज नहीं, लेकिन बिना ज़रूरत के गाड़ी देने से बहुत सी ख़राबियां पैदा होंगी, वह खूब घूमेगा, मालदार होने के कारण ग़लत लड़को के हत्थे चढ़ेगा और इनके साथ अच्छा खासा समय बरबाद होगा, घर से ज़्यादा गायब होकर घूमने फिरने लगेगा, मां बाप से सरकशी करेगा, बार बार उनसे पिट्रोल का पैसा मांगेगा।

५. ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती या नर्मी : बच्चों पर न बहुत ज़्यादा सख्ती करें और न बहुत ज़्यादा नर्मी। बहुत सख्त मार देना, बात बात पर टोकना, बात बात सख़्त डाट डपट करना मुनासिब नहीं नर्मी और सख्ती में बीच का रास्ता अपनाना बेहतर होगा।

६. बच्चों की ज़रूरत के मोताबिक़ खर्च न देनाः इससे उनका मनोबल कमज़ोर हो जाएगा, ग़लत तरीके से पैसा हासिल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मां बाप की जेब से पैसा निकाल ले या किसी क़रीबी रिश्तेदार से पैसा मांगे या अवसर मिलने पर अपने साथी का पैसा चोरी कर ले।

७. मुहब्बत और प्यार से महरूमी : बच्चों को मां बाप का

मोनासिब प्यार मिलना चाहिए, रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपने बच्चों, बच्चियों नेवासों और नेवासियों से बहुत प्यार करते थे। एक बार नमाज़ में हज़रत हसन सजदा की हालत में आपकी पीठ पर बैठ गए आप देर तक ठेहरे रहे और लम्बा सजदा किया।

८. ज़ाहिरी चीज़ों का ज़्यादा एहतेमाम करनाः इसका मतलब यह है कि बच्चे के लिए अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी आदि देना पर अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम और अखलाक़ अर्थात चरित्रवान बनाने की तरफ़ ध्यान न देना उन्हें बड़ा बनाने का कोई मन्सूबा न हो यह नुकसानदेह है।

९. अपने बच्चों को फरिश्ता समझनाः

१०. बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा बदगुमानी करनाः

इनके बारे में शक करना मामूली बातों पर सख्त गिरिफ्त करना मोनासिब नहीं।

११. बच्चों और बच्चियों में अन्तर करना और इन में न्याय न करना।

१२. बच्चियों की पैदाइश पर नाराज़गीः

आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बच्चियों के पैदा होने पर सख्त नाराज़ होते हैं। मुंह बना लेते हैं, बात यहां तक पहुंच चुकी है कि बच्ची पैदा होने पर मां और बेटी को अस्पताल में छोड़ कर चले आए हैं। बच्चियों को बुरा समझने का नतीजा यह है किः

१. यह अल्लाह की तकदीर और उसके फैसले पर एतेराज़ है। २. शुकरिया के बजाए अल्लाह के तोहफ़ा को रद करना है। ३.यह जाहिलीयत (अज्ञानताकाल) के व्यवहार की तरह है। ४.यह जेहालत और नासमझी की निशानी है। ५. लड़की या लड़का देना केवल अल्लाह के हाथ में है औरत इस की ताकत नहीं रखती। लड़की या लड़का देना केवल अल्लाह के हाथ में है इसका जिम्मेदार औरत को क्यों ठेहराया जाता है?

१३. बच्चों का गलत या खराब नाम रखनाः

रसूल सल्ल० ने अच्छा नाम रखने का हुक्म दिया है और खराब नामों को बदल दिया है अगर किसी लड़की या लड़के का नाम बदला जाए तो उसका दोबारा अक़ीक़ा करने की ज़रूरत नहीं है।

१४. बाप या सरपरस्त का घर से लम्बी मुद्दत तक बाहर रहनाः इसकी कई शकलें हो सकती हैं।

१. तिजारत में मसरूफ़ है। २. सियासत में मशगूल है। ३. देश के बाहर नौकरी करता है। ४. देश ही में नौकरी करता है पर देर से घर आता है। ५. घर ही पर रहता है, लेकिन न रहने के बाराबर है क्योंकि बच्चों की तालीम और तरबीयत के सिलसिले में ध्यान नहीं देता। ६. घर पर रहता है और दोस्तों के साथ देर देर तक बाहर घूमता है या काम में लगा रहता है। ७. मां समय नहीं देती है ८. माता पिता या कोई एक अपने दोस्त या रिश्तेदार के यहां बार बार जाते हैं और बिना ज़रूरत के इतनी देर तक वहां रहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई पर ग़लत असर पड़ता है।

१५. बच्चों पर बददुआ करनाः

कुछ माएं ऐसी होती हैं जो गुस्सा में अपने बच्चों पर बददुआ कर देती हैं, ऐसा करना मोनासिब नहीं, जिस तरह मां बाप की दुआएं अपनी अवलाद के हक़ में मक़बूल होती हैं वैसे ही उनकी बददुआ भी मक़बूल होती है। इसलिए इससे परहेज़ करें।

(प्रेस विज्ञप्ति)

पारलियामेन्ट में मौलाना बदरूद्दीन अजमल के द्वारा सलफियत को आतंकवाद से जोड़े जाने पर मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की हंगामी मीटिंग

दिल्ली, १ जनवरी २०१६

३१ दिसम्बर २०१८ को अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के पदधारियों, सदस्यगण, मदारिस और जमाअत के जिम्मेदारान की एक हंगामी (तात्कालिक) मीटिंग मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिस में पारलियामेन्ट के हालिया सत्र में तलाके सलासा (तीन तलाक) बिल पर बहस के दौरान सांसद मौलाना बदरूददीन अजमल के सलफियत पर आतंकवाद के अफसोसनाक और निन्दनीय आरोप से उपजी स्थिति और मुसलमानों विशेष रूप से सलफियों की बेचैनी का अवलोकन किया गया और मौजूदा दौर में समुदायिक एकता, राष्ट्रीय सदभावना, शन्तिपूर्ण सह-स्तित्व की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया और इस बात पर बल दिया गया कि मुसलमान और समुदाय के अगुवा अल्लाह की रस्सी कुरआन और हदीस को थाम कर अपनी कथनी और करनी से एकता, भाईचारा का प्रदर्शन करें और कोई ऐसी बात या इक़दाम न करें जिससे मुस्लिम सम्मान और राष्ट्र एवं समुदाय की एकता और मानवता के कार्य को ठेस पहुंचती हो और किसी प्रकार की सांप्रदायिकता, हिंसा और उत्तेजना को राह और सांप्रदायिक और देश एवं मिल्लत दुश्मन तत्वों को शह मिलती हो। समुदाय के लोग विशेष रूप से अगुवागण एक दूसरे का सम्मान करें और अपने फेक़ही और मसलकी मतभेदों को एक दूसरे से दूरी और समुदायिक बिखराव का कारण न बनने दें क्योंकि यह किसी भी तरह देश, समुदाय और मानवता के हित में नहीं है।

आतंकवाद वर्तमान दौर का सबसे बड़ा नासूर है और कुरआन व हदीस की रोशनी में एक निन्दनीय कर्म है चाहे इसका अपराध कोई भी करे और कही भी करे लेकिन व्यक्तियों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों और आतंकवाद के निन्दनीय कृत्य में संलिप्त होने की वजह से उसके धर्म या मसलक (विचार धारा) को आरोपित करना दुरूस्त नहीं है इसलिये कि आतंकवाद का कोई भी धर्म अथवा मसलक नहीं होता। आतंकवाद की रोकथाम और निन्दा एक धार्मिक और मानवीय कर्तव्य है। यही कारण है कि मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हदीस हिन्द ने अपने आस्था एवं विचार धारा के अनुसार देश में सबसे पहले आतंकवाद फिर दाइश की संगीनी को महसूस करते हुये उसके विरूद्ध आवाज़ उठाई और हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में सामूहिक फतवा जारी करके और सेमीनार व सिम्पोज़ियम आयोजित करके उसके उन्मूलन के प्रयासों में भर पूर हिस्सा लिया जिस का सिलसिला अभी तक जारी है। इसका एतराफ देश एवं समुदाय के महान बुद्धिजीवियों और मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने बारहा

किया है। ऐसे में जमाअत अहले हदीस और सलफियत को आतंकवाद से जोड़ना न्याय के खिलाफ ही नहीं बल्कि हास्यास्पद बात मालूम होती है क्योंकि सलफियत कुरआन व हदीस के उस उज्जवल पथ, आस्था और विचारधारा का नाम है जिस पर सहाबा किराम, तबअ् ताबईन अग्रसर थे। यही वजह है कि २७ दिसंबर २०१८ को पारलियामेन्ट हाउस में मौलाना बदरूददीन अजमल के गैर जिम्मेदाराना और निराधार बयान की बिना मसलकी भेदभाव के मिल्लत के पदधारियों और बुद्धिजीवियों ने तुरन्त निन्दा और खण्डन किया और इस पर गम और गुस्सा व्यक्त किया। इसी प्रकार पारलियामेन्ट में मौजूद मुस्लिम और गैर मुस्लिम सदस्यगण और लोकसभा की प्रत्यक्ष प्रसार होने वाली कार्रवाई देखने वाले लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया और इसे सांप्रदायिक वैमनष्यता और मसलकी तनाव पैदा करने वाला बयान करार दिया और यही प्रिय देश की शान और पहचान है लेकिन बाज मुस्लिम संगठनों विशेष रूप से आल इंडिया मुस्लिम प्रस्नल्ला बोर्ड की खामूशी आश्चर्यजनक होने के साथ अफसोस नाक है जबकि तलाक़े सलासा का मसला इसी से संबन्धित था और इस मसले में जमाअत अहले हदीस ने भी हर क़दम पर बोर्ड का साथ दिया और समुदायिक एकता का सुबूत दिया और मिल्लत को बिखराव से बचाया जिसका सिला बोर्ड के एक सदस्य ने इतने संगीन आरोप लगा कर पूरी कौम और जमाअत को दुख पहुचा कर दिया। उपर्युक्त बयान आतंकवाद विरोधी उन गतिविधियों को भी कमजोर करने की कोशिश है जो वर्षों से मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द और अन्य संगठन कर रहे थे।

इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना बदरूददीन अजमल के गैर जिम्मेदाराना बयान से न केवल जमाअत अहले हदीस बल्कि तमाम मुसलमानों और इन्साफ व अम्न पसन्द देश बन्धुओं को दुख पहुंचा है और इससे समुदायकि एकता और राष्ट्रीय सदभावना को सख्त सदमा पहुंचा है। और इससे, अल्लाह न करे पूरी मिल्लत और मानवता को नुकसान पहुंच सकता है। अगर्चे मौलाना ने अपने लेटर हेड पर मअ्जिरत कर ली है और ईटीवी पर भी अपना खेदजनक बयान प्रसारित किया है इसके अलावा पारलियामेन्ट की कार्रवाई से हटाने का भी अनुरोध किया है और उनके कथनानुसार वह स्वीकार भी कर लिया गया है। बाज़ बयानात में उन्होंने यह भी कहा है कि वह बहक गये थे और उनका मकसद सलफी भाइयों को दुख पहुचाना नहीं था लेकिन चूंकि मौलाना के बयान से जामअती मित्रों में सख्त बेचैनी पाई जा रही है इसलिये मौलाना मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के नाम अपना एक लिखित बयान भी भेजें और पारलियामेन्ट के स्टेज से ही इसआरोप के खण्डन को सुनिश्चित बनाएं ताकि बेचैनी की शिद्दत खत्म हो। साथ ही इस हंगामी मीटिंग ने जमाअत एवं मिल्लत से भी अपील की है कि वह इस नाजुक अवसर पर सब्र एवं धैर्य का प्रदर्शन करें। सलफी विचारधारा का स्वभाव है कि वह किसी भी मसले में मध्यमार्ग का रास्ता अपनाता है और किसी भी हाल में अपने मानने वालों को किसी भी प्रकार के अतिश्योक्ति, हिंसा और असंतुलन की इजाज़त नहीं देता।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की मीटिंग में यह भी तय किया गया है कि इस हवाले से हर संभव कार्रवाई की जाये ताकि भविष्य में कोई इत्तेहाद मिल्लत और सदभावना को टुकड़े टुकड़े करने का साहस न कर सके और कौम एवं समुदाय अकारण बेचैनी का शिकार न हो।

जारी कर्ता

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द

इस्लाम में आस्था का महत्व

❑अब्दुल अज़ीज बिन बाज़ रह०

एक मुसलमान के लिये अल्लाह तआला के हक़ में आखिरत के बारे में और इस के अलावा अनदेखी (ग़ैब) के बारे में उन आस्थाओं पर ईमान रखना ज़रूरी है जिन की कुरआन और हदीस से पुष्टि होती है।

अल्लाह तआला पर ईमान लाने का मतलब यह है कि हम इस बात पर ईमान रखें कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ़बूद और इ़बादत का पात्र नहीं इस लिये अल्लाह बन्दों का पैदा करने वाला, उनका उपकारक, उनको रोज़ी देने वाला उनके हर हाल से परिचित और अपने आज्ञाकारों को अच्छा बदला और नाफरमानी करने वालों को सजा देने पर शक्ति रखता है। अल्लाह तआला ने जिन्नों और इन्सानों को अपनी इबादत के लिये पैदा किया है और इस पर जमे रहने का हुक्म दिया है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है:

''और मैंने जिन्न और इन्सान को इसी लिये तो पैदा किये हैं कि वह मेरी इबादत करें मैं उनसे कोई रिज़्क़ नहीं चाहता और न यह चाहता हूं कि वह मुझे खिलाएं निसन्देह (बिला शुब्हा) अल्लाह तो खुद बहुत ज़्यादा रिज़्क देने वाला, कुव्वत वाला, अत्यंत ताक़तवर है'' (सूरे ज़ारियात ५६-५८)

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है:

''ऐ लोगो! तुम अपने रब की इ़बादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुम से पहले थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ वह (रब) जिस ने तुम्हारे लिये जमीन को बिछौना बनाया और आसमान को छत बनाया और उसने आसमान से पानी नाज़िल किया फिर उसके ज़रिये से (कई प्रकार के) फलों से तुम्हारे लिये रिज़्क़ निकाला अतः तुम अल्लाह के साथ शरीक (सझीदार) न ठेहराओ जबकि तुम जानते हो। (सूरे बक़रा-२१-२२)

अतः सत्य को स्पष्ट करने, उसकी तरफ आमंत्रित करने और बुरी बातों से डराने के लिये अल्लाह ने अपने रसूल भेजे और किताब नाज़िल की। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

''और निसन्देह हमने हर उम्मत में एक रसूल (मैसेन्जर) भेजा कि अल्लाह की इ़बादत करो और तागूत से बचो (सूरे न० १६, आयत न०३६)

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है:

''और आपसे (हज़रत मुहम्मद) से पहले हमने जो भी मैंसेन्जर भेजा उसकी तरफ यही वह्य करते रहे कि बेशक मेरे सिवा कोई मअबूद नहीं अतः तुम मेरी ही इबादत करो'' (सूरे अंबिया सूरे नंबर २१ आयत न० २५)

इस इबादत की हक़ीक़त यह है कि इबादत के सभी तरीक़े जिनके ज़रिये से लोग इबादत करते आ रहे हैं जैसे दुआ, भय, आशा, नमाज़, रोज़ा, कुर्बानी, नज़र इत्यादि को अल्लाह से डर और आशा रखने की भावना के साथ अल्लाह के लिये ख़ास कर दिया जाये। कुरआन मजीद का अधिकांश भाग इसी बुनियादी अक़ीदा (आस्था) को स्पष्ट करने के लिये नाज़िल हुआ है। मिसाल के तौर पर कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है:

''अतः आप अल्लाह के लिये इबादत (बन्दगी, उपासना) को खालिस करते हुये उसी की इबादत कीजिए सुनो ख़ालिस बन्दगी अल्लाह के लिये है'' (सूरे जुमर सूरे न० ३६ आयत न० २-३)

कुरआन में अल्लाह तआ़ला फरमाता हैः

“और आपके रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो” (सूरे बनी इस्राईल सूरे न० १७ आयत न०२३)

हज़रत मआज़ रज़िअल्लाहो तआला अन्हो से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह तआला का बन्दों पर हक़ यह है कि वह केवल उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठेहराएं” (सहीह बुखारी हदीस न०-२८५६, सहीह मुस्लिम हदीस न०-३०)

अल्लाह पर ईमान में यह बात भी शामिल है कि अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर जो कुछ वाजिब और फर्ज़ किया है अर्थात इस्लाम के पांच स्तंभ पर भी ईमान लाया जाए वह पांच स्तंभ यह हैंः

इस बात को स्वीकार करना कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ाइम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और ताक़त रखने पर बैतुल्लाह का हज करना। इनके सिवा दूसरे फराइज़ जो शरीअत में साबित हैं उन सब पर ईमान लाना ज़रूरी हैं। इन सभी स्तंभों (अरकान) में सबसे महत्वपूर्ण और महान स्तंभ इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।

“नहीं है कोई मअबूद सिवाय अल्लाह के” यह मानने के बाद सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि केवल अल्लाह की इबादत की जाये और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न की जाये। अल्लाह के अलावा जिस की भी इबादत की जायेगी चाहे वह इंसान हो या फरिश्ता जिन्न हो या कुछ और असत्य करार पायेगा।

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

जमाअती ख़बर

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी की
''वहदते उम्मत'' अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेन्स में शिर्कत

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने १२-१३ दिसम्बर २०१८ को मक्का मुकर्रमा में आयोजित ''वहदते उम्मत'' अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेन्स में शिर्कत की दो दिनों तक जारी रहने वाली इस कांफ्रेन्स में दुनिया के १२७ देशों से १२०० से अधिक प्रतिनिधियों ने शिर्कत की प्रिय देश हिन्दुस्तान से अमीरे मोहतरम के अलावा मौलाना अरशद मदनी, सैयद अहमद बुखारी, मौलाना अली अख़्तर मक्की, डा० आर के मुहम्मद मदनी, इत्यादि ने शिर्कत। इस कांफ्रेन्स में उम्मत की एकता, इंसानी भाई चारा और अम्न व शान्ति की स्थापना के सिलसिले में करारदाद और प्रस्ताव पास हुए। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द हर उस प्रोग्राम में शिर्कत को सौभाग्य समझती है जिस में एकता अम्न व शान्ति और सदभावना जैसे विषयों पर वार्ता होती है। (संस्था)

कोलकाता में एक दिवसीय समाज सुधारक प्रोग्राम

स्थानीय जमीअत अहले हदीस कोलूटोला के सहयोग से शहरी जमीअत अहले हदीस कोलकाता की निगरानी में एक दिवसीय समाज सुधारक प्रोग्राम जकरिया स्ट्रीट में २ दिसंबर २०१८ को आयोजित हुआ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में गैर मुस्लिम भाइयों के साथ हज़रत मुहम्मद सल्लहो अलैहि वसल्लम के सदव्यवहार को बयान करते हुए कहा कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम सब के नबी हैं सब के लियेआये हैं। हज़रत मुहम्मद ने सबके साथ सदाचरण किया है। आपके सन्देश को पूरी मानवता तक पहुंचाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम की निजामत शैख आलमगीर ताबिश तैमी ने की इस प्रोग्राम से अन्य प्रतिष्ठित ओलमा ने खिताब किया। (ताबिश तैमी)

कोषाध्यक्ष अलहाज वकील परवेज साहब को सदमा

यह खबर बड़े रंज व गम और अफसोस के साथ सुनी जाए गी कि मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के कोषाध्यक्ष अलहाज वकील की बड़ी बहन का २५ दिसंबर २०१८ को पैत्रिक भूमि नागपुर महाराष्ट्र में ८६ साल की उम्र में इन्तेक़ाल हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। तदफीन उसी दिन हुई। वह नमाज रोजे की पाबन्द और जमाअती कामों से लगाव रखने के साथ औरतों में दावत और सुधार का काम करती थीं।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के तमाम जिम्मेदारान और कार्यकताओं ने गहरे रंज व गम का इजहार किया है और कोषाध्यक्ष से हार्दिक शोक व्यक्त किया है और अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे और परिवार वालों को सब्र की क्षमता प्रदान करे कोषाध्यक्ष की छूटी बहन भी सख्त बीमार हैं उनके लिये दुआ की अपील है। संस्था (जरीदा तर्जुमान १-१५ जनवरी २०१९)

❑ ❑ ❑

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया

अबू अय्यूब अनसारी रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः किसी शख्स के लिये यह जाइज नहीं कि अपने किसी भाई से तीन दिन से ज्यादा के लिये मुलाकात छोड़े इस तरह कि जब दोनों का सामना हो जाये तो यह भी मुंह फेर ले और वह भी मुंह फेर ले और उन दोनों में बेहतर वह है जो सलाम में पहल करे। (बुखारी ६०७७ मुस्लिम २५६०)

जबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः सिफारिश करो इस पर तुम को सवाब मिलेगा और अल्लाह तआला अपने नबी की जुबान के जरिये जो चाहेगा पूरा करेगा। (बुखारी-१४२२ मुस्लिम-२६२७)

अबू मूसा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अच्छे और बुरे साथी की मिसाल खुश्बू बेचने वाले और लोहार की तरह है। खुश्बू बेचने वाला या तो तुम को सुंघा देगा या तो तुम उस से खरीद लो गे या उससे अच्छी खुश्बू पाओगे। और लोहार या तो तुम्हारे कपड़े को जला देगा या बदबूदार बू मिले गी। (बुखारी २६२८ मुस्लिम २१०१)

अबू मूसा रज़िअल्लाहो अल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सुना कि एक आदमी दूसरे आदमी की तारीफ कर रहा था और उसकी तारीफ में मुबालगा (बढ़ा चढ़ा कर) बात कर रहा था तो आप ने फरमाया तुम लोगों ने उस शख्स को हलाक कर दिया या उसकी पीठ को तोड़ दिया। (बुखारी २६६३ मुस्लिम ३००१)

अबू मूसा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुझ से फरमायाः क्या मैं तुम्हें एक ऐसा कलिमा न बताऊं जो जन्नत के खजानों में से एक खजाना है और वह यह है "ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह"। (बुखारी २७०४ मुस्लिम ६३८४)

अबू मूसा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स अल्लाह से मिलना पसन्द करता है अल्लाह भी उससे मिलना पसन्द करता है और जो शख्स अल्लाह से मिलना नापसन्द करता है अल्लाह भी उससे मिलना पसन्द नहीं करता है। (बुखारी ६५०८ मुस्लिम २६८६)

अबू बकरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब दो मुसलमान अपनी तलवारों को लेकर आमने सामने मुकाबले पर आ जायें तो दोनों जहन्नमी हैं पूछा गया कि यह तो कातिल था और मकतूल ने क्या किया? फरमाया कि मकतूल भी अपने मुकाबिल को कत्ल करने का इरादा किये हुये था। (बुखारी ७०८३ मुस्लिम २८८८)

अबू सईद खुदरी रजिअल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मेरे असहाब को गाली मत दो अगर कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर डाले तो

उनके एक मद गल्ला के बराबर भी नहीं पहुंच सकता और न उनके आधे मद के बराबर। (मुस्लिम ३६३७ मुस्लिम २५४१)

नौमान बिन बशीर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क्यामत के दिन सबसे हलका अज़ाब उस जहन्नमी शख्स को होगा जिसके दोनों पांव के तलवों में केवल आग की जूतियां होंगी जिसकी वजह से उसका दिमाग खौलेगा जिस तरह से मिरजल (हांडी) और कुमकुम (बर्तन का नाम) खौलता है। (बुखारी ६५२२ मुस्लिम २१३)

उमर बिन अबू सलमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुझ से कहाः ऐ लड़के खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहो और अपने दायें हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। (बुखारी ५३७६ मुस्लिम २०२२)

मुगीरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः बेशक मेरे ऊपर झूठ बांधना किसी दूसरे पर झूठ बांधने की तरह नहीं है जिस ने मुझ पर जान बूझ कर झूठ बाधा तो उसे अपना ठिकाना जहन्नम मे बना लेना चाहिये। (बुखारी १२९१ मुस्लिम ४)

नवास बिन समआन रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः नेकी अच्छी आदत है और गुनाह वह है जो तुम्हारे दिल में खटके और लोगों को इस गुनाह की खबर होना तुम्हें नापसन्द हो। (मुस्लिम २५५३)

नवास बिन समआन रजिअल्लल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क्यामत के दिन कुरआन, उसके पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वालों को लाया जायेगा उस वक्त सूरे बकरा और आले इमरान उस के आगे आगे होगी। (मुस्लिम ८०५)

मअ्क़िल बिन यसार रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः फितनों के जमाने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत के समान है। (मुस्लिम २९४८)

जिसने किसी भलाई की तरफ किसी को मार्गदर्शन किया तो उसे भी उस शख्स की तरह सवाब मिलेगा जो भलाई का काम करने वाले को मिलेगा। (सहीह मुस्लिम-१८९३)

जो किसी परेशान हाल पर आसानी (मदद) करेगा अल्लाह तआला उस पर दुनिया और आखिरत में आसानी करेगा। (सहीह मुस्लिम २६९९)

मेरठ में समाज सुधारक प्रोग्राम

१६ दिसंबर २०१८ को मस्जिद अहले हदीस करीम नगर मेरठ में समाज सुधारक प्रोग्राम का आयोजन मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। महा सचवि ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम अम्न व शान्ति का धर्म है, इस्लाम अम्न व शान्ति और प्यार व मुहब्बत की बात करता है, इस्लाम और मुसलमानों का आतंकवाद से कोई संबन्ध नहीं (मुहम्मद अमजद मुतवल्ली, मस्जिद अहले हदीस करीम नगर मेरठ यूपी)

इस्लाम में बाल-अधिकार

❑ **इरफान मुहम्मद**

बच्चों की ज़िन्दगी की हिफाज़त के लिये इस्लाम ने यह शिक्षा दी है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः '' और तंगदस्ती की वजह से अपनी औलाद को क़त्ल न करो हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी देंगे''। (सूरे अंआम-आयत न०-१५१)

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः ''और तंग दस्ती के डर से अपनी औलाद को क़त्ल न करो हम उन्हें भी रोज़ी देंगे और तुम्हें भी देंगे'' (सूरे बनी इसराईल आयत-३१)

अर्थ यह है कि नवजात बच्चे या बच्ची का सबसे पहला हक़ यह है कि माँ के पेट में ९ महीने तक उसकी पूरी हिफ़ाज़त की जाये, उसके स्वास्थ्य का ख़्याल रखा जाए और उसको हर संभावित बीमारी और ख़तरे से बचाया जाए।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बच्चे का अपने पिता पर अधिकार यह है कि पिता अपने बच्चों का अच्छा नाम रखे, उसको अच्छा आचरण और आदत वाला बनाये और बच्चे को बेहतरीन शिक्षा दे।

बच्चे की भलाई की दुआ करना, उसको अभिशाप देने से बचना, उसकी सेहत का ख्याल रखना, उसको हानिकारक खेल से दूर रखना, और इसी प्रकार उसको हर प्रकार की हानिकारक बातों से बचाना बाल अधिकार की श्रेणी में आता है।

बच्चे देश एवं समाज के भविष्य हैं अगर हम उनकी अच्छी तरह से पालन पोषण करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल और रौशन होगा। इस्लाम धर्म ने औलाद को मां बाप के लिये नेमत और रहमत क़रार दिया है और औलाद की आवश्यकताओं को पूरी करना मां बाप का कर्तव्य है और क़्यामत के दिन औलाद के बारे में पूछ गुछ हो गी अतः हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों का संरक्षण करें और फूल जैसे बच्चों से मशक्कत लेने के बजाय उन्हें अच्छी शिक्षा दें। हुकूमत की भी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वह इस बात को सुनिश्चित बनाये कि बच्चा स्कूल से बाहर न हो और न ही बच्चों से कोई मशक़्क़त वाला काम लिया जाये। बच्चों की हिफाज़त हम लोगों का संयुक्त दायित्व है यह एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। बच्चों के अधिकार से गाफिल समाज किसी भी सूरत में विकास नहीं कर सकता। बच्चों का संरक्षण एक सभ्य और विकसित देश की बुनियाद बन सकता है इसलिये इस्लाम बच्चों के अधिकार के संरक्षण पर बड़ा ज़ोर देता है अगर हम बच्चों के संरक्षण के लिये इस्लाम की शिक्षाओं पर अमल करें तो बच्चों के हवाले से विभिन्न दिवस मनाने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी।

बच्चों का शोषण के कारणों का अवलोकन करके उनका समाधान और उनके अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करना ज़रूरी है। अध्यापक गण और मां बाप को चाहिए कि वह बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करें, सरकार सिविल सूसाइटी और मीडिया का कर्तव्य है कि बच्चों पर हर प्रकार के हिंसा की रोक थाम के लिये मिल कर काम करें और अगर इस बारे में व्यवहारिक कार्रवाई की जाए तो इस समाजी बुराई का जड़ से अंत किया जा सकता है।

पैरेन्ट्स और अध्यापकगण बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखें, पैरेन्टस अपने बच्चों को समय दें और उनमें विश्वास पैदा करके विभिन्न समस्याओं से निमटने के लिये तैयार करें, स्कूलों में उन्हें इस प्रकार की समस्याओं से निमटने के लिये प्रशिक्षण के प्रबन्ध किये जायें, पैरेन्ट्स बच्चों के इन्टरनेट के स्तेमाल पर कड़ी निगाह रखें।

कान का रोग

❑ **डा० एम.एन बेग**

कान से पतला मवाद, खून मिला पानी पीप आदि निकलता हो तो इसको कान बहना कहा जाता है, कान के मर्ज का शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन बच्चों, बूढ़ों कमजोर लोगों और मोसमी बुखार में लिप्त मरीज कान के रोग से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तैराकों में भी इसकी संभावना ज़्यादा होती है।

कान बहने का सबब किसी भी प्रकार का जरासीमी, वायरल और फंफूदी और इन्फेक्शन हो सकता है, यह बीमारी पैदाइशी नहीं होती लेकिन इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। बाहरी कान में चोट लगने, फोड़ा फुंसी होने या फंफूदी लगने से कान बहने लगता है। स्पष्ट रहे कि कान तीन भागों पर आधारित होता है। बाहिरी भाग, दर्मियानी भाग और अन्दरूनी भाग।

दूध पीते बच्चे को ठीक ठाक ढंग से न लिटा कर दूध पिलाने के कारण कान के दर्मियानी हिस्से में वरम (सूजन) आ जाता है जिसकी वजह से कान बहने लगता है।

अधिकांश (ज्यादातर) औरतें बच्चों को करवट लिटा कर दूध पिलाती हैं, इस वजह से कभी कभी दूध बच्चे के कान के दर्मियानी हिस्से में चला जाता है यह अगर्चे बहुत कम मात्रा में होता है लेकिन धीरे ध ीरे यह मामूली और कम मात्रा भी अपनी सड़ांद के कारण पहले तो वरम पैदा करता है फिर घाव बन कर पीप निकलने लगता है।

कान का छोटा सा सूराख हलक़ में भी खुलता है इसी सूराख़ से दूध ा के क़तरे कभी कभार कान में पहुंच जाते हैं।

कनफेड़ टॉन्सी लाइट्स, एलर्जी दांतों की ख़राबी, टाईफाइड इत्यादि की वजह से भी कान बहने लगता है।

कान का पर्दा फटने से न केवल पर्दे में स्थाई तौर पर सूराख़ हो जाता है बल्कि कान के दर्मियानी हिस्से की हडडी भी प्रभावित हो जाती है। कान और दिमाग के बीच एक पतली से हडडी होती है जब पर्दे के किनारे पर सूराख़ हो जाता हे तो इन्फेक्शन धीरे धीरे दिमाग के अन्दर पहुंच जाता है और भेजे (मग़्ज़) को भी प्रभावित कर देता है इसमें वरम हो जाता है, लकवा हो सकता है, चक्कर आने लगते हैं।

रोगी और रोग की स्थिति देख कर ही उपचार शुरू किया जाता है अगर टान्सिल की वजह से हो तो इसका एलाज किया जाता है अगर दवा से उपचार न हो सके तो टान्सिल को आप्रेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है और इयर ड्रापस गोलियों कैपसूलों और इन्जेक्शनों के द्वारा मवाद को सुखा दिया जाता है।

कान के परदे में सूराख हो तो इसको आप्रेशन के द्वारा ठीक कर दिया जाता है अगर प्रभाव दिमाग तक पहुंच गये हों तो दिमागी रोग के विशेषज्ञ (स्पेशलिस्ट) को दिखाना ज़रूरी है। सारांश यह है कि सबब के अनुसार उपचार किया जाता है।

सुबह शाम साफ रूई की फरेरी से मवाद साफ करें।

अगर चन्द दिनों तक ड्राप्स डालने के बाद फायदा न हो तो ई. एन. टी के विशेषज्ञ (स्पेशलिस्ट) से संपर्क करें।

अल्लाह से गफ़लत का एलाज

❑ **अब्दुल मन्नान शिकरावी**

कुरआन करीम में अल्लाह ने बहुत सी आयतों में अपनी याद से ग़फ़लत करने पर गुस्से और नाराज़गी व्यक्त किया है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''और हमने बहुत से जिन्न और इन्सान जहन्नम के लिये पैदा किए हैं जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते जिन की आखें ऐसी हैं जिन से नहीं देखते और जिनके कान ऐसे हैं जिन से नहीं सुनते। यह लोग चौपायों की तरह हैं बल्कि यह उनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं''। (सूरे आराफ-१७६)

अल्लाह ने ग़फ़लत की सज़ा बयान करते हुए फरमाया कि इनके दिलों पर मुहर लगा दी गयी है फिर न वह सहीह रास्ता कुबूल करते हैं और न ही नसीहत इन पर असर करती है।

''यह वह लोग है जिनके दिलों पर और जिनके कानों पर और जिन की आखों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है और यही लोग गाफिल हैं बिला शक यही लोग आख़िरत में सख़्त नुकसान उठाने वाले हैं'' (सूरे नह्ल-१६)

अल्लाह की याद से गफलत का अंजाम बहुत ही भयानक है इसलिये इंसान को चाहिए कि वह उन लोगों के तरीक़े से बचें जो अल्लाह की याद से गफ़लत के शिकार हैं और उन लोगों का तरीक़ा अपनाएं जो अल्लाह की याद में हमेशा लगे रहते हैं जिनकी जुबान अल्लाह की याद से हमेशा तर रहती है।

निम्न पंक्तियों में ग़फलत से छुटकारा पाने का तरीका बताया जा रहा है।

कोशिश होनी चाहिए कि हमेशा दिल में अल्लाह की याद और जुबान पर उसका ज़िक्र जारी रहे।

इमाम इब्नुल क़ैइम रहमातुल्लाह अलैहि फ़रमाते हैं अल्लाह से बन्दे की दूरी अल्लाह के ज़िक्र के हिसाब से होती है, जो अल्लाह के जिक्र के बिना ख़तम नहीं हो सकती। गफ़लत से सुरक्षित रहने का एक तरीक़ा यह है कि जो बुरे और अल्लाह की याद से गाफिल हैं उनकी संगत से पहरेज़ किया जाये। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''और अपने आप को उन्हीं के साथ रखा कर जो अपने परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते हैं और उसी के चेहरे के इरादा रखते (खुशी) चाहते हैं। खबरदार! तेरी निगाहें उनसे न हटने पाएं कि जिंन्दगी दुनिया के ठाठ के इरादे में लगा जाए। देख उसका कहना न मानना जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से ग़ाफिल कर दिया और जो अपनी इच्छाइओं के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका काम हद से गुज़र चुका है''। (सूरे कहफ़-२८) ग़फ़लत से महफूज़ रहने का एक तरीका यह है कि इन्सान अल्लाह के कलाम कुरआन करीम में गौर व फिक्र करता रहे और अल्लाह और उसके रसूलों की बातों को झुठलाने वाली कौमों के अंजाम पर भी नज़र रहे।

ग़फ़लत से निजात का एक तरीक़ा यह भी है कि रातों में अल्लाह की इबादत की जाए। हज़रत उमर रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स रात में दस आयतें पढ़े वह ग़ाफ़िलों में नहीं गिना जाएगा और जो सौ आयतें पढ़े उसका नाम आज्ञा पालन करने वालों में लिखा जाएगा जो हज़ार आयतें पढ़े वह सवाब के बड़े खज़ानों के मालिकों में शुमार होगा।

जुमा की नमाज़ का एहतमाम करना इसके अलावा पाँचों वक्त की नमाज़ों का एहतमाम करना ज़रूरी है गफलत को दूर करने का एक तरीका यह भी है कि अल्लाह से दुआ के वक्त दिल को पूरी तरह से हाज़िर रखा जाये।

इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की याद से ग़फलत का सबसे बड़ा कारण दुनिया से लगाव और आखिरत से लापरवाही है। यही इन्सान के कठिनाइयों का सबसे बड़ा सबब है।

डा० मुहम्मद जावी अल उसैमी के लेख का अनुवाद

नमाज़ की शिक्षा और प्रशिक्षण

❑ **मुहम्मद बिन जमील जैनू**

लड़का हो या लड़की दोनों के लिये नमाज़ की शिक्षा और प्रशिक्षण (तरबियत) शुरूआत ही से कर देनी चाहिए ताकि बड़े होने तक नमाज़ को पाबन्दी के साथ अदा करने की आदत बन जाये। इस बात को हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यूं फरमाया है:

''तुम्हारे बच्चे जब सात साल की उमर को पहुंच जायें तो उनको नमाज़ पढ़ना सिखाओ और दस साल की उमर तक पहुंच कर अगर वह नमाज़ में कोताही करें तो उन पर सख़्ती करो और जब उनकी उमर दस साल की हो जाये तो उनके बिस्तर अलग अलग कर दो। इस बारे में मां बाप और अध्यापकों को चाहिए कि वह बच्चों के सामने बजू करके नमाज़ अदा करें ताकि बच्चे उनको देख कर वजू करने और नमाज़ पढ़ने के सहीह तरीके से वाक़िफ़ हो सकें। इसके अलावा मां बाप को चाहिए कि वह बच्चों को अपने साथ मस्जिद में ले जाया करें और घर में नमाज़ के विषय पर कोई किताब भी रखें जिस को पढ़ने के लिये बच्चों को कहते रहें ताकि इस किताब के ज़रिये घर के सभी लोग नमाज़ के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल कर सकें।

बच्चों को कुरआन की शिक्षा देना भी ज़रूरी है चूंकि नमाज़ में कुरआन की तिलावत की जाती है इसलिये शुरूआत में सूरे फातिहा के साथ छोटी छोटी सूरतें और तशह्हुद बच्चों को जुबानी (मौखिक रूप से) याद करवाना चाहिये। बच्चों के लिये किसी ऐसे टियूटर का प्रबन्ध करना चाहिए जिससे वह तजवीद, कुरआन को याद और हदीस की शिक्षा प्राप्त कर सकें। जुमा और दूसरी नमाज़ के दौरान बच्चों से कोई कोताही हो जाये तो उन्हें प्यार से समझा कर राहे रास्त पर लाने की कोशिश करनी चाहिये ताकि ऐसा न हो कि वह सख्ती की वजह से नमाज़ पढ़ना छोड़ दें और हम लोग उलटा गुनेहगार बन जायें। अगर हम अपने बचपन के ज़माने के खेल कूद के शौक़ को याद कर लें तो बच्चों की कोताही को समझने में आसानी हो जायेगी।

(प्रेस विज्ञप्ति)

सलफियत पर हिंसा और आतंकवाद का आरोप अत्यंत अफसोसनाक और निंदनीय

आरोप लगाने वाले व्यक्ति को राष्ट्र और सरकार से मआफी मांगनी चाहिये: मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी

दिल्ली १ जनवरी २०१८

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी और मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के सभी पदधारियों ने अपने एक अखबारी बयान में पिछले दिनों संसद में तीन तलाक से संबन्धित बहस के दौरान एक धार्मिक एवं राजनीतिक लीडर मौलाना बदरूददीन अजमल ने सलफियत पर जिस तरह आरोप लगाया है और गुमराहकुन बयान दिया है उसे अत्यन्त अफसोसनाक और हिन्दुस्तानी मुसलमनों की सफों में बिखराव फैलाने की निन्दनीय और खण्डनीय कार्रवाई करार दिया है। इसकी तमाम मुसलमानों की जानिब से जितनी भी निन्दा की जाये कम है। इससे करोड़ों शान्ति पसन्द, देशभक्त और मानवता दोस्त लोगों का हृदय आहत हुआ है और जिस पर हर न्यायपसन्द को क्रोध और शिकायत है। आज तक इस्लाम और मुस्लिम आतंकवाद का हव्वा खड़ा करके इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने का प्रोपैगण्डा किया जाता था जिस पर मुसलमानों को सख्त आपत्ति थी लेकिन अफसोस कि आज बाज मुस्लिम भाई ही अपने बाज मुस्लिम मकतबे फिक्र (विचार धारा) के बारे में इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बातें कह रहे हैं। बहर हाल मौलाना जैसे जिम्मेदार से तो इस प्रकार के बयान की आशा नहीं की जा सकती थी। स्वयं तलाक के बारे में जिस तरह मुस्लिम प्रसनल्ला बोर्ड समेत सभी मुस्लिम संगठनों ने अहले हदीस के दृष्टिकोण की सराहना की बल्कि बहुत सी परेशानियों से मिल्लत की एकता को बचाने का क्रेडिट अहले हदीस के सर आया ऐसे में इसी तलाक़ के मसले को लेकर उसी के खिलाफ खुली आक्रामकता कितना अफसोसनाक, निन्दनीय और संगीन अपराध है? इसके अलावा भी असंख्य अवसरों पर अहले हदीस मिल्लत की एकता का सुबूत देते रहे हैं।

सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कि मौलाना ने एक खेदपत्र (मअ़ज़िरत नामा) प्रकाशित किया है लेकिन वह इस भयानक बयान के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। मौलाना ने अपने मअ़ज़िरत नामा में जिस प्रकार से इसे पारलियामेन्ट की कार्रवाई से हटाने और अपनी गलती से रूजू करने की अपील की है उसी तरह बयान को औपचारिक तौर पर भी सभी मीडिया में साधारण करें और पारलियामेन्ट के जरिये इसे खत्म करायें और करोड़ों अहले हदीसों और अरबों मुसलमानों को इस झूठे आरोप से जो हार्दिक दुख पहुंचा है उसकी भरपाई की हर संभव कोशिश करें, देश, समुदाय और सबकी इसी